राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र0 संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
125/2023	09.05.2023	06.06.2024

अनुवान

1. प्रिंस शर्मा पुत्र राम शर्मा नाबालिक जरिये सरपरस्त माता ललिता पत्नी राम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राम शर्मा पुत्र कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
2. श्यामलाल पुत्र कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
3. विधा देवी पत्नी कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
4. राजबाला पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
5. रामा देवी पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
6. शीला देवी पुत्री कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
7. उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
8. लैण्ड होल्डर जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा–212 राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री हंसराज यादव एड0–प्रार्थी
2. श्री शीशराम यादव एड0–अप्रार्थी सं01
3. श्री प्राण सुख सैनी एड0–अप्रार्थी सं02 ल06

–:निर्णयः–

दिनांक 06.06.2024

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर 259/0.41,270/0.46,271/0.93,690/0.99 है0 वाके ग्राम कोलिला सांगा व ख0न0472/0.27 है0 वाके ग्राम कोलिला जोगा में स्थित होकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक को प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है तथा उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 लगायात 6 प्रत्येक का 1/12,1/12 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 7 ल010 प्रत्येक का 1/32,1/32 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 11 ल013 प्रत्येक का 1/8,1/8 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल06 एक ही परिवार के सदस्य है सजरा पेश है अंकित करते हुए मुताबिक सजरा विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हक 1/12 हिस्सा है व इसी प्रकार मौके पर काबिज है। विवादित आराजी प्रार्थी की

दादालाई कृषि है जिसमें प्रार्थी को जन्म लेने के बाद से अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा मुताबिक सजरा के जन्म से बाई बर्थ एवं हिन्दू लॉ के मुताबिक प्रत्येक इंच-इंच पर प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 दुर्व्यसनो से ग्रस्त है जो अपने पुत्र प्रार्थी के भविष्य के बाबत तथा अपना भला-बुरा न सोचकर विवादित आराजी में अपने हिस्से को बेचान करने की जुस्तजु में है। जिससे प्रार्थी को भीख मांगने की नौबत आ जायेगा और अपूर्णय क्षति होने की संभावना है अंकित करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है आदि-आदि अंकित करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन रहा ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 ल06 में जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना-अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है । अप्रार्थी संख्या 1 के प्रस्तुत जवाब का सारतः रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 शराब नहीं पीता तथा ना ही आराजी को कहीं बेचान करना चाहता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया का प्रकरण, सुविधा का संतुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के हक में साबित नहीं होते हैं अंकित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भारी हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन रहा है । ठीक इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ल06 द्वारा प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल06 के परिवार का सजरा वादी/प्रार्थी द्वारा गलत दर्ज किया गया है क्योंकि राम शर्मा के दो पुत्र प्रिंस शर्मा व यश शर्मा है लेकिन प्रार्थी/वादी द्वारा सजरा में पुत्र यश शर्मा को दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार से दावा चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थी को अपने पिता के खातेदारी हिस्से के विरूद्व ही वाद लाने का अधिकार है संपूर्ण आराजी में प्रार्थी के कोई हक निहित नहीं है ना ही हम अप्रार्थी संख्या 2 ल06 के खातेदारी हिस्से में प्रार्थी के कोई अधिकार निहित नहीं है लेकिन हम अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से तन्ग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र में हमें पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थी अपने पिता के खिलाफ प्रकरण पेश करने से पहले खातेदारी प्राप्त करे उसके बाद अपने खातेदारी हिस्से को तकसीम करवा सकता है बिना खातेदारी दर्ज करवाये तकसीम का वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-212 राज0काश्त0 अधिनियम हम अप्रार्थीगण संख्या 2 ल06 के विरूद्व लाने का भी अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू नहीं है बल्कि उक्त तीनों बिन्दू हम प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होते हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं अंकित करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौराते हुए विवादित आराजीयात पैतृक/दादालाई आराजी होने की स्थिति में प्रार्थी को जन्म लेने के बाद से अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के हक में से अपना हिस्सा मुताबिक सजरा के जन्म से बाई बर्थ एवं हिन्दू लॉ के मुताबिक हक होना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया ठीक इसी प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा सजरा गलत दर्ज किया गया है एवं गलत सजरे अनुसार ही वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जबकि पैतृक आराजी साबित किये जाने बाबत किसी भी प्रकार को कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है

इस प्रकार से वाद/ प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 राम शर्मा का इकलौता पुत्र होना अंकित करते हुए प्रकरण पेश किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 राम शर्मा के दो पुत्र प्रिंस शर्मा व यश शर्मा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के संपूर्ण हिस्से को अर्जित करने की गलत मन्शा से प्रकरण पेश किया है एवं प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में से अनुतोष चाहे जाने की स्थिति में दावा पेश करते हुए दावा एवं प्रार्थना पत्र पत्रावली में हम अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 को भी किसी प्रकार का अनुतोष चाहे बिना पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर हमारे हक हिस्से को भी स्थगन आदेश से पावंद करवाया है। यदि प्रार्थी को तकासमा कराये जाने का वाद लाया जाना था तो इससे पूर्व विवादित आराजीयात में अपने पिता के खिलाफ वाद पेश कर पहले खातेदारी अधिकार प्राप्त करता उसके वाद ही अपनी खातेदारी हिस्से को तकसीम करवा सकता था बिना खातेदारी दर्ज करवाये हम अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश से पावंद करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में पैतृक आराजी होने के बाबत का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति मे एव हम अप्रर्थीगण से बिना कोई अनुतोष चाहे गलत रूप से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने की स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति वाले तीनों ही विन्दू प्रार्थी के विरूद्व होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से सावित है अवगत कराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक वहस प्रार्थना पत्र वहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 259/0.41,270/0.46,271/0.93,690/0.99 है0 वाके ग्राम कोलिला सांगा व ख0न0 472/0.27 है0 वाके ग्राम कोलिला जोगा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड के बाबत के प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति के बाबत के उक्त तीनों विन्दू ही विरूद्व प्रार्थी पाये जाने एवं अप्रार्थीगण के हक में स्पष्ट रूप से सावित पाये जाने की स्थिति में अस्वीकार पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार की जाती है एवं पूर्व दिनांक 09.05.2023 में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्तक्षाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

06-06-2024

(पंकज वडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
जिला कोटपूतली—वहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)